यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम सिंह नगर के माह 09.2015 से 07.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 10.08.2017 से 16.08.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मोहम्मद सलीम खान, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 26.09.2015 से 30.09.2015 तक श्री हनुमान सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04.2012 से 08.2015 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). **(i).** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम सिंह नगर के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कच्छा विकासखण्ड आता है । चिकित्सालय में आये रोगियों को समुचित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करवाना कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम सिंह नगर के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वत्तीय वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि
2014-15	868.55	842.00	12.65	12.33
2015-16	763.26	605.70	17.56	14.36
2016-17	698.58	608.36	20.93	15.43
2017-18 (till 07.2017)	608.36	608.31	5.85	4.53

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2012-13	--	--	--	--	--	--
2013-14	--	--	--	--	--	--
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं जिला योजना द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ‘C’ श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a).प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

b).महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

c).निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

d). मुख्य च कत्सा अ धकारी

e). अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी

f). प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

g). चिकित्सा अधीक्षक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधः वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2015 से 07.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम सिंह नगर के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09.2016 एवं 05.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-**1**:- लेखन सामग्री के अंतर्गत धनरा श रु 0.**84** लाख का अनिय मत क्रय।

उत्तराखण्ड शासन वत्त वभाग संख्या- 177/ (7)/ 2008 देहरादून दिनांक 1 मई, 2008 अ धप्राप्ति के मौ लक सद्धांत बिंदु संख्या 3(1) में स्पष्ट कया गया है क समस्त अ धप्राप्ति प्र क्रयाओं में पारद र्शता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ता क व्यय की जाने वाली धनरा श का अ धकतम लाभ प्राप्त हो सके एवं बिंदु संख्या (10) में स्पष्ट कया गया है क अ धप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लए यथासाध्य अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अ धप्राप्ति का प्रयास कया जाए अ धप्राप्ति मूल्य कम करने के लए आवश्यक मात्र को वभाजित नहीं कया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंक लत मूल्य के सन्दर्भ में अपे क्षत उच्चतर प्रा धकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लए छोटे- छोटे भागों में वभक्त कया जाएगा

कार्यालय के लेखन सामग्री के नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया की टी.डी.एस. रु 1767/- कटौती के उपरान्त, भुगतान-आदेश दिनांक 08.05.2017 (चेक न. 000466, दिनांक- 08.05.2017, धनरा श रु 84,032/-) के अन्तर्गत धनरा श रु 0.84 लाख की ख़रीदारी टुकड़ों में वभक्त करके की गयी थी, ता क उच्च अ धकारियों के अनुमोदन से बचा जा सके ।

वविरण निम्न ल खत है :-

क्र. सं.	फर्म का नाम	वाउचर सं./ **Invoice No. &** दिनांक	भुगतान-आदेश दिनांक	धनरा श **(Rs)**
1	M/s Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd., Halwani, Distt.-Nainital	2016-17 No. 034; 12.04.2017	08.05.2017	17447
2	M/s Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd., Halwani, Distt.-Nainital	2016-17 No. 035; 12.04.2017	08.05.2017	19812
3	M/s Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd., Halwani, Distt.-Nainital	2016-17 No. 036; 12.04.2017	08.05.2017	14738
4	M/s Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd., Halwani, Distt.-Nainital	2017-18 No. 072; 24.04.2017	08.05.2017	10367
5	M/s Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd., Halwani, Distt.-Nainital	2017-18 No. 073; 24.04.2017	08.05.2017	23435
		टी.डी.एस. कटौती =		-1767
		योग =		84,032/-

अ धप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लए यथासाध्य अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अ धप्राप्ति का प्रयास कया जाना चाहिए था परन्तु धनरा श रु 50,000/- से ऊपर की ख़रीदारी हेतु नियमानुसार नि वदा की प्र क्रया सम्पन्न नहीं की गई थी एवं ख़रीदारी हेतु, उक्त फर्म नि वदा के माध्यम से स मति द्वारा संस्वीकृत भी नहीं थी ।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने उत्तर मे बताया है क भ वष्य में अ धप्राप्ति नियमावली का पालन कया जायेगा । उत्तर मान्य नही है क्यो क वभाग द्वारा नि वदा/कोटेसन की प्र क्रया नही अपनायी गयी थी तथा अ धप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लए यथासाध्य अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अ धप्राप्ति का प्रयास नहीं कया गया था।

अतः धनरा श रु 0.84 लाख के अनिय मत क्रय का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- **3 :-** रोकड़-बही में धनरा श रु **2.79** लाख की प्र वष्टियों का न तो कया जाना एवं न ही रोकड़-बही बनाया जाना ।

शासन के पत्रांक संo- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ‘‘आहरण एवं सं वतरण अ धकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनरा श सम्बं धत के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के ववरण का प्रंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बं धत अ भलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्र वष्टि यथा स्थान पर करेंगे’’ इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बं धत माह में कये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से व र्णत है क ‘’Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me’’ and ‘’Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.’’

कार्यालय च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम संह नगर की रोकड़.बही की नमूना जाँच में पाया गया क वस्तृत जांच हेतु चयनित माह सतम्बर 2016 एवं मई 2017 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त Form BM- 5 के कुल रू 1,58,27,858 + 1,21,17,658 = 2,79,45,516/- की आहरित सकल धनरा श (Gross Amount) को रोकड़.बही न बनाये जाने के कारण रोकड़.बही में नहीं दर्शाया गया था एवं DDO द्वारा कोषागार में उपरोक्त कथन का सर्टि फकेट भी प्रे षत नहीं कया जा रहा था ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर च कत्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क रोकड़-बही शीघ्र ही अद्यतन कर ली जायेगी एवं भ वष्य में अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क रोकड़-बही नहीं बनाये जाने के साथ-साथ, शासन के पत्रांक संo- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था ।

अतः रोकड़-बही में धनरा श रु 2.79 लाख की प्र वष्टियों का नहीं कये जाने एवं साथ ही रोकड़-बही नहीं बनाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का वविरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
AIR/ SS/ 101/ 2015-16	**---**	**1 & 2**	**---**	**1, 2, 3 4, 5 & 6**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR/ SS/ 101/ 2015-16	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- NIL; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 & 2 STAN- NIL एवं TAN- 1, 2, 3 4, 5 & 6	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम संह नगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 एस. राम	च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम संह नगर	वगत लेखापरीक्षा से 05.2017 तक
डॉ0 रामकृष्ण	च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम संह नगर	06.2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कच्छा, ऊधम संह नगर को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेस, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र